

अन्वय पर पत्र सं० - ०८०९००७

पत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्टा समा०यो०-(07-08)

117

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: अप्रैल 23, 2008

समस्त अधिकारीगण,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :: भट्टा व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व की समीक्षा के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश में ईटों पर कर की प्राप्ति राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे लगभग 175 से 200 करोड़ वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है। दिनांक 1-1-2008 से वैट अधिनियम के अन्तर्गत, दिनांक 8-4-2008 तक ईटों की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता रही है तथा शासन की विज्ञप्ति संख्या- क०नि०-2-1021 / ग्यारह-9-(1)/08-उ०प्र०अधि०-5-2008-आदेश-(17)/2008 दिनांक 19-4-2008 से ईटों की बिक्री पर कर की दर दिनांक 9-4-2008 से 4 प्रतिशत कर दी गयी है।

2- वैट अधिनियम की धारा-24 तथा नियमावली के नियम-45 के अन्तर्गत मासिक / त्रैमासिक नक्शा तथा स्वीकृत कर जमा किये जाने का प्राविधान है तथा ऐसा न करने की दशा में वैट अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत किसी टैक्स पीरियड का अस्थायी कर निर्धारण आदेश तथा धारा-54 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश पारित किये जाने का प्राविधान है।

3- दिनांक 1-1-2008 से 8-4-2008 की अवधि में ईटों की बिक्री पर कर की दर 12.5 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये व्यापारियों के द्वारा दाखिल नक्शों की जांच इस आशय से किया जाना वांछित है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापारियों के द्वारा गत वर्ष जो कर समाधान धनराशि के रूप में जमा किया गया था उससे कम कर, ईटों की कर की दर में परिवर्तन होने के कारण प्राप्त न हो। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि ईटों की बिक्री पर वैट कर व्यवस्था में कर की दर 4 प्रतिशत कर दी जाती है तो ऐसा करने से राजस्व में कोई कमी नहीं होगी।

4- गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कमी न होने पाये, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि व्यापारियों द्वारा उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में किया जाये। ईटों का उत्पादन फुकाई अवधि पर निर्भर करता है, अतः यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि यदि किन्हीं कारणों से फुकाई कुछ अन्तराल के लिए या पूर्णतया बन्द की जाती है तब ऐसी सूचना कार्यालय में समय से प्राप्त हो जाये। इस संदर्भ में यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त कर निर्धारण अधिकारी अपने अधिक्षेत्र के भट्टा व्यवसायों को यह अवगत करा दें कि उनके भट्टे में फुकाई बन्द होने की तिथि तथा तत्पश्चात् प्रारम्भ होने की तिथि की सूचना विलम्बतम् ऐसी तिथि के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्राप्त हो जाये। ऐसी सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इसके सत्यापन की जांच, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जाये।



5- व्यापारियों के द्वारा दाखिल नक्शों में घोषित / जमा कर गत वर्ष की अपेक्षा कम प्राप्त न हो, इस हेतु नक्शों में घोषित बिक्री कम से कम कितनी हो, उसकी जानकारी **संलग्नक 'क'** में दी जा रही है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस संलग्नक में उल्लिखित बिक्री की तुलना व्यापारी के द्वारा दाखिल नक्शे से की जाये तथा यह पाये जाने पर कि किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री **संलग्नक 'क'** के अनुसार नहीं घोषित की है, ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध प्रभावी सर्वेक्षण की कार्यवाही तथा विधि अनुकूल रूप से अर्थदण्ड/ अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। जिन व्यापारियों द्वारा अपनी बिक्री घोषित करते हुये गत वर्ष के सापेक्ष अधिक टैक्स दिया गया है, ऐसे व्यापारियों के मामलों में किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है।

6- इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1-(3)-ईट भट्टा समा०यो०-(2007-2008)-/ 1368 दिनांक 14-11-2007 द्वारा सीजन वर्ष 2007-2008 में भट्टों का सर्वेक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता से कराये जाने का निर्देश दिया जा चुका है। अतः इसे देखते हुये समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को निर्देश दिया जाता है कि संलग्न प्रारूप "ए" तथा प्रारूप "बी" में सूचना दिनांक 7-5-2008 तक मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर अपने अधिनस्थ प्रत्येक खण्ड का निरीक्षण कर भट्टा व्यवसायों द्वारा जमा किये गये नक्शे एवं कर के सम्बन्ध में विस्तृत निरीक्षण करेंगे, जिसमें यह अवश्य अंकित किया जाय कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कितने भट्टों का कितनी बार सर्वेक्षण किया गया है तथा भट्टा व्यवसायों से गत वर्ष के सापेक्ष कितनी वृद्धि के साथ राजस्व जमा कराने का प्रयास किया गया है। यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 15-5-2008 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा० / प्रवर्तन) अपने अधिनस्थ वि०अनु०शा० इकाईयो द्वारा किये गये भट्टों के सर्वेक्षणों की समीक्षा करते हुए एक समीक्षात्मक रिपोर्ट इस बिन्दु पर भेजेगे कि वि०अनु०शा० इकाईयो द्वारा राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए कितने भट्टों की प्रभावी जांच की गयी है। यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 15-5-2008 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक :: उपपरोक्तानुसार


(सुनील कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए

पायों की संख्या	वैट की दर 12.5 प्रतिशत होने एवं गत वर्ष की समाधान राशि के बराबर कर प्राप्त करने के लिए घोषित की जाने वाली अनुमानित त्रैमासिक बिक्री (चतुर्थ तिमाही के लिए)	वैट की दर 4 प्रतिशत होने एवं गत वर्ष की समाधान राशि के बराबर कर प्राप्त करने के लिए घोषित की जाने वाली अनुमानित त्रैमासिक बिक्री
15	रु0- 1,60,996/-	रु0- 5,03,113 /-
16	रु0- 1,93,930/-	रु0 - 6,06,031 /-
17	रु0- 2,30,520/-	रु0 7,20,375/-
18	रु0- 2,70,768/-	रु0 - 8,46,150/-
19	रु0- 3,18,336/-	रु0 9,94,800/-
20	रु0-3,65,904 /-	रु0 11,43,450/-
21	रु0- 4,17,130 /-	रु0 13,03,531/-
22	रु0- 4,75,676 /-	रु0 14,86,488/-
23	रु0- 5,45,196 /-	रु0 17,03,738/-
24	रु0- 6,18,376 /-	रु0 19,32,425/-
25	रु0- 6,95,218/-	रु0 21,72,556/-
26	रु0- 7,79,376/-	रु0 24,35,550/-
27	रु0- 8,67,192/-	रु0 27,09,975/-
28	रु0- 9,55,008/-	रु0 29,84,400/-
29	रु0- 1,42,826/-	रु0 32,58,831/-
30	रु0- 11,30,642/-	रु0 35,33,256/-
31	रु0- 12,18,460/-	रु0- 38,07,688/-
32	रु0- 13,06,276/-	रु0- 40,82,113/-
33	रु0- 13,94,092/-	रु0- 43,56,538/-
34	रु0- 14,81,908/-	रु0- 46,30,963/-
35	रु0- 15,73,388/-	रु0- 49,16,838/-
36	रु0- 16,64,864/-	रु0- 52,02,700/-
37	रु0- 17,56,340/-	रु0- 54,88,563/-
38	रु0- 18,47,816/-	रु0- 57,74,425/-
39	रु0- 19,39,292/-	रु0- 60,60,288/-
40	रु0- 20,30,768/-	रु0- 63,46,150/-
41	रु0- 21,22,244/-	रु0- 66,32,012/-
42	रु0- 22,13,722/-	रु0- 69,19,381/-
43	रु0- 23,05,196/-	रु0- 72,03,738/-
44	रु0- 23,96,674/-	रु0- 74,89,606/-
45	रु0- 24,88,148/-	रु0- 77,75,463/-
46	रु0- 25,79,626/-	रु0- 80,61,331/-
47	रु0- 26,17,100/-	रु0- 83,47,188/-

प्रारूप-ए

खण्ड का नाम	कार्यरत भट्टो की संख्या	वर्ष 07-08 के तृतीय त्रैमास किये गये सर्वेक्षणो की संख्या	वर्ष 07-08 के चतुर्थ त्रैमास मे किये गये सर्वेक्षणो की संख्या

प्रारूप-बी

खण्ड का नाम	वर्ष 2007-08 तृतीय त्रैमास		वर्ष 2007-08 चतुर्थ त्रैमास	
	घोषित बिक्री	जमा कर	घोषित बिक्री	जमा कर

